CHANGES IN REGULATIONS ON AGENDA

Irdai board meet likely on Nov 25

MITHUN DASGUPTA
Kolkata, November 17

INSURANCE REGULATOR IRDAI is likely to hold its board meet on November 25 to discuss and approve some of the major changes it proposed in the current regulations in the areas of putting a cap on insurance companies' expenses of management, maximum limit of tie-ups with corporate agents, putting a cap on commission to agents and intermediaries, and allowing private equity (PE) funds to come in as promoters of insurance and reinsurance companies, among others.

The board of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) is likely to discuss the proposed changes in regulations on commission guidelines, insurance intermediaries, registration of Indian insurance companies, raising other forms of capital and expenses of management. "These are the big bang reforms in these five areas of insurance, where consultation is complete. These matters are likely to be placed before Irdai board meet on November 25 for approval," according to sources close to the development.

The insurance regulator had earlier issued exposure drafts in order to change the current regulations after reviewing them following stakeholders' requests to review the regulations. It had asked all the stakeholders to forward their comments and suggestions on the proposed regulations. Irdai believes these new regulations would promote ease of doing business for the insurance companies, attract more foreign investment in the sector and increase insurance penetration in the country.

The regulator proposed caps on the expenses of management for both general and life insurance companies. In an exposure draft on expenses of management,

Irdai also proposed cost control measures which can be transferred to policyholders by way of reduced premium.

FROM THE FRONT PAGE

Amazon arbitration: SC slams Future

Future counsel KV Vishwanathan on Thursday submitted that the apex court can request the high court to pronounce the order, and accordingly, the arbitration can be proceeded with or terminated.

However, the submission was rejected by the CJI, who said: "We will not pressure the HC judge and say you have to render order."

He said that the arbitration can proceed on November 28 and if the HC holds that it is not maintainable, the tribunal will not go on. "But if you (Future Group) fail before the HC, you have to go to the tribunal."

The CJI also said once the tribunal rejects the termination application, the order of the apex court has to be given effect to. "We are concerned with the fact that the order of the Supreme Court should not be reduced to a nullity," he said. With Future Retail going into insolvency, Amazon is no longer seeking a performance of contract but wants monetary compensation pertaining to its ₹1,400-crore investment in Future Coupons.

The dispute between Future and Amazon dates back to October 25, 2020, when the Singapore's emergency arbitrator restrained Future Retail from going ahead with its ₹24,500-crore takeover deal with Reliance Retail. Amazon, which had acquired an indirect minority stake in a Future Group entity, Future Coupons (FCPL), in 2019 for ₹1,400 crore, has alleged that Future's sale of its retail, wholesale, logistics and warehousing businesses to Reliance Retail breached its pre-existing contract, which included a right of the first offer and a non-compete clause. However, in December 2021, the Competition Commission (CCI) put the approval given by it in 2019 to the deal in abeyance on the ground that Amazon had not disclosed full information. However, on June 28, SIAC had rejected Future Group's plea seeking termination of arbitration proceedings on this ground. Future subsequently moved the Delhi HC for quashing the proceedings.

Small companies face big loan burden

In 2022 so far, the BSE SmallCap index has lost 2%, the BSE MidCap index is up 1.1%, while the BSE 500 has gained 4.4%.

Among companies where the ICR ratio has fallen are Suzlon, Tata Metaliks, Birlasoft, Hathaway, Indigo paints, CarTrade Tech, Rallis India and Tata Coffee.

Bigger names include Amber Enterprises, Sunteck Realty, Strides Pharma, Tata Power, Adani Green, Adani Transmission, Adani Power, Dalmia Bharat and Sterlite Tech.

In general, the Q2FY23 performance of India Inc has been disappointing with net profits falling year-on-year.

While revenues have grown fairly well in an inflationary environment, a sharp increase in raw material costs has crimped operating profit margins, pushing down operating profits. The second half of the year could see companies reporting better operating profits as commodity prices ease.

However, interest rates are expected to stay elevated in the forseeable future even if they rise at a slower pace from here on. While inflation has no doubt eased, analysts caution there are upside risks from higher domestic food and fuel prices. Moreover, the economy is expected to grow at a slower rate of just around 5% in FY23 on the back of 6.6-6.8% growth in FY23. The slower growth could see corporate earnings rising at a slower pace, especially for smaller companies.

The sample excludes banks, financial services and insurance (BFSI), and oil and gas companies.

SBI

आईटी भुगतान प्रणाली विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, ग्लोबल आईटी सेन्टर, बालाजी भवन, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614

शुद्धिपत्र-2

कृपया आरएफपी संख्या SBI/GITC/Payment Systems/2022/2023/901 दिनांक 29.10.2022 देखें। शुद्धिपत्र–2 दिनांक 17.11.2022 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' के अंतर्गत **https://bank.sbi** एवं ई-प्रोक्योरमेंट एजेन्सी के पोर्टल **https://etender.sbi/SBI/** पर उपलब्ध है।

स्थान: नवी मुंबई

तिथि: 17.11.2022 — **आईटी भुगतान प्रणाली विभाग**

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 105, अशोका एस्टेट, 24, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001
CIN: L65910DL1983PLC016036, फोन: (011) 23313955, फैक्स: (011) 23316374
ईमेल: oswal_leasing@owmnahar.com, वेबसाइट: www.owmnahar.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए परिपत्रों) द्वारा जारी नवीनतम सामान्य परिपत्र सं. 3/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ विभिन्न परिपत्रों के साथ पठित सेबी (आपत्तियों के सूचीकरण एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमों, 2015 के विनियमन 44, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और धारा 110 के अनुवर्ती पोस्टल बैलेट नोटिस के साथ व्याख्यात्मक विवरण में निर्धारित अनुसार विशेष व्यापार मदों के लिए साधारण प्रस्ताव के माध्यम से ओसवाल लीजिंग लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों अनुमोदन मांगा है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों को भेजा गया है, जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(ओं), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड और कंपनी के साथ दिनांक शुक्रवार, 11 नवंबर, 2022, यानी कट-ऑफ तिथि तक पंजीकृत है। कंपनी ने गुरुवार, 17 नवंबर, 2022 को पोस्टल बैलेट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण पूरा कर लिया है।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.owmnahar.com, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर उपलब्ध है और उक्त नोटिस सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे इसे उपर्युक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट नोटिस में संदर्भित दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा उक्त पोस्टल बैलेट नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा और पोस्टल की हार्ड कॉपी प्रदान कर रही है। इस पोस्टल बैलेट के लिए पोस्टल बैलेट फॉर्म और प्री-पेड बिजनेस लिफाफे के साथ बैलेट नोटिस सदस्यों को नहीं भेजा जाएगा। सदस्यों की सहमति और असहमति का संचार रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाओं को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान शुक्रवार, 18 नवंबर, 2022 (09:00 पूर्वाह्न) से शुरू होगा और शनिवार, 17 दिसंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे) समाप्त होगा।

उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

पोस्टल बैलेट नोटिस में डीमैटीरियलाइज्ड रूप और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग का तरीका और उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और ईमेल पते के अस्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया प्रदान की गई है।

एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के लिए पात्र माना जाएगा। वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से मानेगा।

ईमेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका:

i. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए- कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी) के साथ सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 दिनांक 03.11.2021 द्वारा निर्धारित प्रपत्र आईएसआर-1 कंपनी को oswal_leasing@owmnahar.com पर ईमेल द्वारा या आरटीए को virenders@alankit.com पर आवश्यक विवरण प्रदान करें। । उक्त फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.owmnahar.com पर इन्वेस्टर्स सेक्शन के तहत उपलब्ध है।

ii. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए- कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें।

प्रस्ताव, यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी शनिवार, 17 दिसंबर, 2022 को पारित माना जाएगा। ई-वोटिंग का परिणाम, ई-वोटिंग की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर यानी मंगलवार, 20 दिसंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे तक) को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट www.owmnahar.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और बीएसई की वेबसाइट: www.bseindia.com पर स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट के साथ अपडेट किया जाएगा।

मेसर्स एम.जी. जिंदल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सीपी नंबर 2712) को केवल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग तंत्र के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के संचालन के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्य सीडीएसएल ई- वोटिंग से रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, वरि. प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई- 400013 से संपर्क किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर कॉल करें या सुश्री पलक नारंग, कंपनी के कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी, 105, अशोक एस्टेट, 24, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली- 110 001 से दूरभाष नंबर: 011-23313955, फैक्स नंबर: 011-23316374, ईमेल: oswal_leasing@owmnahar.com पर संपर्क करें।

निदेशकों के बोर्ड के आदेशानुसार
कृते ओसवाल लीजिंग लिमिटेड
हस्ता./-
(पलक नारंग)
कंपनी सचिव

दिनांक: 17 नवंबर, 2022
स्थान: नई दिल्ली

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

रेलटेल RAILTEL

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लेट–ए, 6वां तल, कार्यालय ब्लॉक टॉवर –2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, **सीआईएन :** L64202DL2000GOI107905
वेबसाइट : www.railtelindia.com **आईडी :** cs@railtelindia.com
टेलीफोन : +91 11 22900600 **फैक्स :** +91 11 22900699

पोस्टल बैलेट और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी नीचे उल्लिखित व्यावसायिक मद (मदों) पर रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा अपने सदस्यों का अनुमोदन मांग रही है:–

मद सं.	संकल्प(पों) का विवरण	संकल्प(पों) का प्रकार
1.	कंपनी के अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक के रूप में श्री विकास कुमार जैन की नियुक्ति, रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।	साधारण संकल्प
2.	दिनांक 07.10.2022 से 26.10.2022 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में श्री रवींद्र नाथ मिश्रा, ईडी / एफ (सी एंड पीपीपी) रेलवे बोर्ड की नियुक्ति और समाप्ति के लिए अनुमोदन प्रदान करना।	साधारण संकल्प
3.	श्री राकेश रंजन के पद परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान करना।	साधारण संकल्प
4.	श्री वी. रामा मनोहर राव की कंपनी के निदेशक / वित्त के रूप में नियुक्ति, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।	साधारण संकल्प

ई–वोटिंग के लिए व्याख्यात्मक विवरण और निर्देशों के साथ पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट **www.railtelindia.com**, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों (यानी बीएसई और एनएसई) **www.bseindia.com**, **www.nseindia.com** और **www.evoting.nsdl.com** ई–वोटिंग एजेंसी ''एनएसडीएल'' की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

डाक मतपत्र कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार है, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के साथ पढ़ा जाता है।

कोविड –19 महामारी के कारण, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08.04.2020, 17/2020 दिनांक 13.04.2020, 22/2020 दिनांक 15.06.2020, 33/2020 दिनांक 28.09.2020, 39/2020 दिनांक 31.12.2020, 10/2021 दिनांक 23.06.2021, 20/2021 दिनांक 08.12.2021, 03/2022 दिनांक 05.05.2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक परिपत्र और अधिसूचनाएं (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए सर्कुलर' के रूप में संदर्भित) ने कंपनियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिस भेजकर डाक मतपत्र आयोजित करने की अनुमति दी है।

डाक मतपत्र नोटिस और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ ई–वोटिंग निर्देश उन सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजे गए हैं जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और जिनके नाम **11 नवंबर, 2022 (शुक्रवार) ("कट–ऑफ तिथि")** को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देते हैं। सदस्यों के मताधिकार कट–ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित शेयरों के अनुपात में होंगे। कंपनी ने **17 नवंबर, 2022 (गुरुवार)** को सदस्यों को जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत थी, ई–मेल के माध्यम से नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है।

एनएसडीएल को सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। रिमोट ई–वोटिंग **18 नवंबर, 2022 (शुक्रवार) (पूर्वाह्न 11:00 बजे)** से शुरू होगी और **17 दिसंबर (शनिवार) (शाम 5:00 बजे)** को समाप्त होगी इसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट डाल दिए जाने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सदस्यों की सहमति या असहमति रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ही होगी। केवल वे सदस्य जिनके नाम कट–ऑफ तिथि के अनुसार डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है, उसे इस पोस्टल बैलेट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य के लिए समझना चाहिए।

कंपनी ने मैसर्स कुमार नरेश सिन्हा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, नोएडा के प्रोपराइटर श्री एन.के. सिन्हा (सी.ओ.पी. संख्या 14984 और एफसीएस 1807) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इस डाक मतपत्र प्रक्रिया को संचालित करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई–वोटिंग के परिणाम निर्धारित समय अवधि के भीतर घोषित किए जाएंगे और उक्त परिणाम को स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट **www.railtelindia.com** और **www.evoting.nsdl.com** एनएसडीएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों (यानी बीएसई और एनएसई) को भी सूचित किया जाएगा।

ई–वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 18001020990 या 1800224430 पर एनएसडीएल की या **evoting@nsdl.co.in** पर **सुश्री सरिता मोटे** को एक अनुरोध भेजें।

टिप्पणियां:– (I) कंपनी से नियमित और समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत करवाएं।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./–
जे एस मारवाह
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 17.11.2022

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरी मंजिल, जीएमटीटी बिल्डिंग, डी–7, सेक्टर 3, नोएडा, यू.पी.–201301

कब्जा सूचना(अचल संपत्ति के लिए) [(नियम-8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि. के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता/गारंटर को नीचे दी गई तारीखों पर डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें नोटिस की तारीख के 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कर्जदारों/जमानतदारों को कहा गया है। कर्जदार/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता और सह–उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन के नियम 8 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों को नीचे वर्णित संपत्ति पर प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता और सह–उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/बंधककर्ता, सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता और सह–उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमि. को प्रत्येक खाते के लिए ब्याज और अन्य शुल्कों/व्यय के साथ यहां नीचे उल्लिखित राशि (के रूप में) के लिए राशि प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख और कब्जे की तारीख	डिमांड नोटिस के अनुसार राशि
1.मैसर्स कौशल एक्सपोर्ट्स, 137–138 राधा दामोदर जी की गली, चौरा रास्ता, जयपुर 302001 2. श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल पत्नी नवीन अग्रवाल, 137–138 राधा दामोदर जी की गली, चौरा रास्ता, जयपुर–302001 3. श्री नवीन अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल, 137–138 राधा दामोदर जी की गली, चौरा रास्ता, जयपुर–302001, ऋण खाता संख्या 2226210090000020	भूतल शॉप क्षेत्रफल 243.43 वर्ग मीटर का वह सब हिस्सा और अंश, मकान का म्युनिसिपल नंबर 1265, खोवलों का चौ, गोपाल जी का रास्ता, चौकरी विश्वेश्वर जी, जिला– जयपुर, जो इस प्रकार घिरा है: चौहद्दी : पूर्वः खो वालों का चौक, पश्चिमः मकान संख्या 1265 का हिस्सा, उत्तरः मकान संख्या 1263 और जेबीएन जेम परीक्षण प्रयोगशाला, दक्षिणः खंभा और मकान संख्या 1265 में एक कमरा। संपत्ति श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल पत्नी नवीन अग्रवाल यानी आपमें से नंबर 2 से सम्बंधित है।	मांग सूचना की तिथि:17–08–2022, कब्जे की तिथि : 16–11–2022	16.08.2022 के अनुसार रु. 39,85,479.99/ और उस पर ब्याज।
1. श्री जगदीश पुत्र गिरधारी लाल, खटीको का मोहल्ला, जामवा, रामगढ़, जयपुर, राजस्थान–303109, 2. श्रीमती अनोखी पत्नी जगदीश, खटीको का मोहल्ला, जामवा, रामगढ़, जयपुर, राजस्थान– 0303109 ऋण खाता संख्या– 2226210070000006 और 2338210040000010	बजरंग विहार (सूरज पोल गेट, गृह विकास सहकारी समिति लिमिटेड की एक योजना, पंजीकरण संख्या 2235/एल), थाना तिराहा, जामवा रामगढ़, जयपुर, राजस्थान में स्थित प्लॉट नं. 28, क्षेत्रफल 226.11 वर्ग गज के सभी भाग और अंश , जो इस प्रकार घिरा है: चौहद्दी : पूर्वः प्लॉट संख्या–42 और 43, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क , उत्तरः प्लॉट, दक्षिणः एन/ए, संपत्ति श्रीमती अनोखी पत्नी जगदीश यानी आपमें से नंबर 2 से सम्बंधित है।	मांग सूचना की तिथि: 01–08–2022, कब्जे की तिथि : 16–11–2022	16.08.2022 के अनुसार रु.14,30,928.26 और उस पर ब्याज।

दिनांक: 08.11.2022 स्थान : जयपुर — प्राधिकृत अधिकारी

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग, डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत यहां नीचे वर्णित तिथियों पर ऋणकर्ता/गारंटर को मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को संबंधित मांग सूचना में अंकित राशि का सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का सांकेतिक अधिग्रहण, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, कर लिया है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

ऋणकर्ता/बंधककर्ता, सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता और सह–ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशि(यों) की एक राशि और इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित ब्याज और अन्य शुल्कों/व्ययों हेतु **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि.** के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. मि. नदीम पुत्र मोहम्मद चांद, तारा पुरी नया मकान अबरार नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश–250002, 2. मैसर्स नदीम बुकिंग बाइंडिंग, अपने प्रोप. नदीम के माध्यम से, तारा पुरी नया मकान अबरार नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश–250002, 3. मि. वसीम पुत्र मोहम्मद चांद, तारा पुरी नया मकान अबरार नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश–250002, 4. मि. चांद पुत्र नजर खान, तारा पुरी नया मकान अबरार नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश–250002, ऋण खाता संख्या 2220210080000031 के अंतर्गत	आवासीय मकान सं. 866 के समस्त वह भाग तथा अंश जिनकी माप 76.66 वर्ग गज अथवा 64.10 वर्ग मीटर है जो खसरा सं. 2874 से समाविष्ट, मोहल्ला तारा पुरी लिसारी मार्ग, मेरठ में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– 20'/16' चौड़ी सड़क, पश्चिम– 20'/असगारी बेगम की संपत्ति, उत्तर– 34'6''/16' चौड़ी सड़क, दक्षिण– 24'6''/आस मोहम्मद का मकान। संपत्ति मि. चांद पुत्र नजर खान अर्थात् आपके बीच में से नं. 4 से संबंधित है।	**मांग सूचना की तिथि : 26.08.2022** **अधिग्रहण की तिथि : 16.11.2022**	रु. 11,06,234.03 दिनांक 24.08.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज

दिनांक : 18.11.2022 स्थान : मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी

पश्चिम मध्य रेल्वे

शुद्धिपत्र संख्या 06/2022

निविदा सं 61221204B जिसके खुलने की तिथि 03/11/2022 थी, जोकि इस कार्यालय की निविदा नोटिस सं. EPS/39/2022 के तहत प्रकाशित की गईथी, इस में निम्नसंशोधन किए गए हैं–**Tender No. & short Description:** 61221204B Description: Brushes paints & varnishes. **Tender Opening date From: 14/11/2022 to 21/11/2022.**

अद्धतन एवं पूर्ण जानकारी के लिए वेवसाईट **https:// www.ireps.gov.in** देखें

कृते प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक, पमरे,
पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर

कोरोना को हराना है, तो टीका लगवाना है

आम-सूचना

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती मनदीप कौर पत्नि श्री रविंदर सिंह सहोता जिसके द्वारा जब्त, कब्जा, स्वामित्व और/या हकदार है। कि हम उक्त परिसर के संबंध में शीर्षक की जांच और सत्यापन कर रहे हैं, जिसे विशेष रूप से यहां लिखी गई अनुसूची में वर्णित किया गया है।

उन सभी व्यक्तियों/संस्थाओं के पास उक्तपरिसर या उसके किसी हिस्से के संबंध में बिक्री, गिरवी के रूप में कोई अधिकार, हक, हित, शेयर, दावा, मांग जो भी हो (उक्तपरिसर के पक्ष में बंधक आवेदन को छोड़कर) आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड (एआरजीएफएल) स्थानांतरण, विनिमय, उपहार, वसीयत, ट्रस्ट, विरासत, किरायेदारी, उप-किरायेदारी, छुट्टी और लाइसेंस, देखभाल करने वाला आधार, कब्जा, पारिवारिक व्यवस्था/ निपटान, किसी भी न्यायालय का आदेश या आदेश कानून, अनुबंधों/समझौतों, ऋणभार, लंबित मामलों, और/या किसी भी प्रतिबद्धता या अन्यथा, जो भी हो, के ऊपर या उक्तपरिसर में, इसके लिए सहायक दस्तावेजों और ऐसे किसी भी अधिकार या दावे के विवरण के साथ लिखित रूप में नोटिस देना आवश्यक है।

यदि किसी व्यक्ति का उपरोक्त संपत्ति पर कोई दावा है तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को मूल संपत्ति दस्तावेजों के साथ इस नोटिस की तारीख से 14 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि इस संबंध में कोई दावा या समस्या उपरोक्त संपत्ति का नहीं है।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति बेरिंग नं. बी–7 क्षेत्रफल 200 वर्गगज साथ में रूफ/छत दूसरी तरफ खसरा नं. 21/5 एवं 21/6 जो बी-ब्लॉक, पांडव नगर ग्राम घरौंदा नीम का बांगर ईलाका शाहदरा दिल्ली - 110092 आबादी में स्थित

Dated This 18th day of Nov, 2022. Place: Delhi Adv. Prashant Rawat (Mob)9958450315

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग, डी–7, सेक्टर–3, नोएडा (उ.प्र.)–201301

समाचारपत्र प्रकाशन के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

एतद्द्वारा एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित ऋणकर्ता(ओं) बैंक से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के प्रतिभुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक कर दी है तथा इसीलिये उक्त सुविधायें निम्नवर्णित प्रत्येक खाता के समक्ष अनिष्पादनीय परिसंपत्तियां बन चुकी हैं। इस संदर्भ में पंजीकृत डाक द्वारा ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को उनके अंतिम ज्ञात पतों पर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना निर्गत की गयी थी। हालांकि, सूचना/यें सूचना–प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुये बिना ही वापस आ गयी थीं तथा इसीलिये प्राधिकृत अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि ऋणकर्ता(गण)/गारंटर(गण) सूचना लेने से बच रहे हैं, अतः एतद्द्वारा उन्हें उनको भेजी गयी, परंतु वापस लौट आयीं सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

शाखा एवं ऋणकर्ता/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
शाखा : आरडीसी गाजियाबाद 1. श्री वशिष्ठ साव पुत्र मुख देव साव, मकान सं. डी–39, सेक्टर–58, नोएडा, बिशनपुरा, कक्ष सं. 9, तृतीय तल, बिशनपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308, मोबा. न. 7683056847, यहां पर भी : श्री वशिष्ठ साव पुत्र मुख देव साव, सिलवर अपेरल्स, बी–17, सेक्टर–59, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, मोबा. 7683056847, यहां पर भी : श्री वशिष्ठ साव पुत्र मुख देव साव, मकान सं. 84, अजानिया परसा, औरंगाबाद, बारुण, बिहार–824112, मोबा. 7683056847, 2. श्रीमती ललिता देवी पत्नी वशिष्ठ साव मकान सं. डी–39, सेक्टर–58, नोएडा, बिशनपुरा, कक्ष सं. 9, तृतीय तल, बिशनपुरा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश–201308, मोबा. न. 7683056847, यहां पर भी : श्रीमती ललिता देवी पत्नी वशिष्ठ साव, बी–17, सेक्टर–59, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301, मोबा. 7683056847, यहां पर भी : श्रीमती ललिता देवी पत्नी वशिष्ठ साव, मकान सं. 84, अजानिया परसा, औरंगाबाद, बारुण, बिहार–824112, मोबा. 7683056847 (खाता सं.: 2210210120000004)	संपत्ति वाली भूमि एवं भवन के समस्त वह भाग तथा अंश जिनका क्षेत्राधिमापन 50 वर्ग गज, जो खसरा सं. 2999 से संबंधित है और ग्राम धूम माणिकपुर, परगना एवं तहसील दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– सड़क 17 फुट चौड़ी, पश्चिम– अन्य की संपत्ति, उत्तर– अन्य की संपत्ति, दक्षिण– अन्य की संपत्ति। संपत्ति श्रीमती ललिता देवी पत्नी वशिष्ठ साव अर्थात् आपके बीच में से नं. 2 से संबंधित है। बंधक के सृजन हेतु नामाधिकार विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांकित : 25.01.2019	12-07-2021	19-01-2022	रु. 1,20,979/– (रुपये एक लाख बीस हजार नौ सौ उन्यासी मात्र)
शाखा : मथुरा 1. श्री कपूर चंद पुत्र गोपाल, नागला सेतु, वंशीवट के पास, मोहम्मदपुर, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281502, 2. कपूर चंद जनरल स्टोर, सीताराम आश्रम के निकट, बड़ी परिक्रमा, गोवर्द्धन, सीताराम आश्रम के निकट, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281502, 3. श्रीमती बैजंती पत्नी कपूर चंद, गोवर्द्धन, राधा कृष्णा अतिथि गृह, गोवर्द्धन ब्राह्मण, मथुरा, उत्तर प्रदेश–281502, (खाता सं.: 2311210080000011)	एक भूखंड के समस्त भाग तथा अंश जिनका क्षेत्राधिमापन 116.12 वर्ग मीटर है जो खसरा सं. 580, मौजा गोवर्द्धन गोरवा, तहसील–गोवर्द्धन, जनपद मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं : पूर्व– सड़क, पश्चिम– भूखंड बाबू, उत्तर– मसजिद, दक्षिण– अकरम की भूमि। संपत्ति श्रीमती बैजंती पत्नी कपूर चंद अर्थात् आपके बीच में से नं. 3 से संबंधित है। बंधक के सृजन हेतु नामाधिकार विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांकित : 28.03.2019	03-06-2022	01-08-2022	रु. 4,65,314.07/– (रुपये चार लाख पैंसठ हजार तीन सौ चौदह एवं सात पैसे मात्र)
शाखा : आगरा 1. श्री राम कुमार पुत्र नाहर सिंह, बी–75, रौनक एन्क्लेव, टीवी टॉवर के निकट, कहराय, शमशाबाद मार्ग, आगरा (उत्तर प्रदेश)–282001, 2. श्रीमती भावना सिंह पत्नी राम कुमार, बी–75, रौनक एन्क्लेव, टीवी टॉवर के निकट, कहराय, शमशाबाद मार्ग, आगरा (उत्तर प्रदेश)–282001, (खाता सं.: 2305761000000051)	खसरा सं. 38 के भाग पर निर्मित संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो कि भूखंड सं. 75 (अब 75–बी) का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 133 वर्ग गज अर्थात् 111.76 वर्ग मीटर है जो श्री रौनक एन्क्लेव, मौजा–कहराय, तहसील एवं जनपद–आगरा में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– सड़क 20 फुट, पश्चिम– भूखंड सं. 80, उत्तर– अन्य का भूखंड, दक्षिण– भूखंड सं. 75 का शेष भाग। संपत्ति श्री राम कुमार पुत्र नाहर सिंह अर्थात् आपके बीच में से नं. 1 से संबंधित है। बंधक के सृजन हेतु नामाधिकार विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांकित : 06.01.2018	11-07-2022	17-08-2022	रु. 6,55,900.16/– (रुपये छह लाख पचपन हजार नौ सौ एवं सोलह पैसे मात्र)
शाखा : आगरा 1. श्री पप्पू पुत्र रघुनाथ सिंह, ग्राम–इतौरा, ग्वालियर मार्ग, ककुआ, आगरा, उत्तर प्रदेश–282009, 2. श्रीमती कुसुमा पत्नी पप्पू, ग्राम–इतौरा, ग्वालियर मार्ग, ककुआ, आगरा, उत्तर प्रदेश–282009, (खाता सं.: 230580300000001टी)	आवासीय भूखंड के समस्त भाग तथा अंश जो कि खसरा सं. 708 का हिस्सा है, जिसका क्षेत्राधिमापन 133.33 वर्ग गज है और जो ग्राम–इतौरा, तहसील एवं जनपद–आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम– विक्रेताओं की भूमि, उत्तर– रामवती का भूखंड, दक्षिण– अन्य भूमि। संपत्ति श्रीमती कुसुमा पत्नी पप्पू अर्थात् आपके बीच में से नं. 2 से संबंधित है। बंधक के सृजन हेतु नामाधिकार विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांकित : 27.07.2017	03.06.2022	01-08-2022	रु. 1,40,949.89/– (रुपये एक लाख चालीस हजार नौ सौ उनचास एवं नवासी पैसे मात्र)

उपरोक्त ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को सलाह है कि सूचना में अंकित राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर, सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाहियां की जायेंगी। इतना ही नहीं, ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) को एतद्द्वारा हमारी पूर्व सहमति लिये बिना उपरोक्त वर्णित उक्त किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का किसी भी प्रकार, चाहे जैसा भी प्रकार हो, लेन–देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना, विषयगत अधिनियम तथा/अथवा किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत हमारे पास उपलब्ध किसी अन्याधिकार के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गयी है।

दिनांक : 18.11.2022 स्थान : दिल्ली/राराक्षे — प्राधिकृत अधिकारी

यूको बैंक UCO BANK

साल्ट लेक जोनल कार्यालय
3 एवं 4, डीडी ब्लॉक, प्रथम तल, साल्ट लेक, सेक्टर-1, कोलकाता-700 064
दूरभाष नं. 44559136,44559159, ई-मेल : zo.saltlake@ucobank.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना

ई–नीलामी की तिथि : 23.12.2022

ईएमडी वॉलेट में ईएमडी (धरोहर राशि) जमा करने की अंतिम तिथि और समय: संबंधित संपत्ति की नीलामी से 1 दिन पहले

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत यूको बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री जैसा कि, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार हमारी शाखा के साथ निम्नलिखित ऋण खाते में बैंक के बकायों के वसूली के लिए निम्नलिखित संपत्तियों को ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर इसकी बिक्री के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइटः https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर प्रदान किए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। ई–नीलामी की तिथि एवं समय : 29 अगस्त, 2022 को 1:00 बजे अप. से 5:00 बजे अपराह्न के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

क्र.सं.	(क) वित्तपोषक शाखा का नाम तथा दूरभाष नं. (ख) सम्पर्क व्यक्ति का नाम तथा मोबाइल नं.	(क) कर्जदार (ख) जमानती/प्रोपराइटर का नाम एवं पता	(क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा तिथि (ग) तिथि तक बकाया शेष	अचल सम्पत्ति का विवरण	(क) आरक्षित मूल्य (ख) जमा धरोहर राशि (ई.एम.डी.) (ग) संविदा वृद्धि राशि (घ) ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1.	(क) साल्ट लेक डीडी ब्लॉक शाखा (1870) saltad@ucobank.co.in (ख) सम्पर्क व्यक्ति : श्री राहुल वर्मा, मोबाइल नं. 9795241483	**आईकेएफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, निदेशक; -1. श्री सुनील कुमार गोयल 2. श्रीमती अनीता गुप्ता** कार्यालय - जे-1/12, इंडो जापान बिल्डिंग, सेक्टर V, ईपी-जीपी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, बिधाननगर, पश्चिम बंगाल 700091 गारंटर - **मैसर्स जीएनजी कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड**, 1. ए-3/3ए ग्रीन अपार्टमेंट पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 2. **मैसर्स प्रीमियम लिंकर्स लिमिटेड** 102, पाल्को हाउस 2162/टी-10	(क) 22.06.2021 (ख) 14.03.2022 (ग) रु. 6.55 करोड़ = रु. 4.55 करोड़ फंड आधारित + रु. 2 करोड़ बीजी (इन्वोक्ड नहीं) (तथा अप्रयुक्त ब्याज, लागत एवं प्रभार)	जी+3 मंजिला इमारत में भूतल पर डीडीए एमआईजी का फ्लैट, इसमें 966 वर्ग फीट का कवरेज है। डाक पता-डीडीए एमआईजी फ्लैट 3-ए, ग्राउंड फ्लोर, ग्रीन अपार्टमेंट्स, ब्लॉक-ए-3, पश्चिम विहार, नई दिल्ली -110063 **संपत्ति भौतिक कब्जे में है**	(क) रु. 1,06,00,000.00 (ख) रु. 10,60,000.00 (ग) रु. 50,000.00 (घ) 23.12.2022 को 01.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. तक (10 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
2.	(क) साल्ट लेक डीडी ब्लॉक शाखा (1870) saltad@ucobank.co.in (ख) सम्पर्क व्यक्ति : श्री राहुल वर्मा, मोबाइल नं. 9795241483	**आईकेएफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, निदेशक; -1. श्री सुनील कुमार गोयल 2. श्रीमती अनीता गुप्ता** कार्यालय - जे-1/12, इंडो जापान बिल्डिंग, सेक्टर V, ईपी-जीपी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, बिधाननगर, पश्चिम बंगाल 700091 **गारंटर - मैसर्स जीएनजी कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड**, 1. ए-3/3ए ग्रीन अपार्टमेंट पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 2. **मैसर्स प्रीमियम लिंकर्स लिमिटेड** 102, पाल्को हाउस 2162/टी-10	(क) 22.06.2021 (ख) 23.03.2022 (ग) रु. 6.55 करोड़ = रु. 4.55 करोड़ फंड आधारित + रु. 2 करोड़ बीजी (इन्वोक्ड नहीं) (तथा अप्रयुक्त ब्याज, लागत एवं प्रभार)	प्लॉट नंबर ए- 50, स्कीम नंबर -18 जय किशन नगर, आर्य नगर के पास, ओपी में आवासीय भवन, मुरलीपुरा थाना, सीकर रोड, जयपुर। भूमि क्षेत्र = 283.75 वर्ग गज। **संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है**	(क) रु. 1,74,00,000.00 (ख) रु. 17,40,000.00 (ग) रु. 50,000.00 (घ) 23.12.2022 को 01.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. तक (10 मिनट के असीमित विस्तार सहित)
3.	(क) साल्ट लेक डीडी ब्लॉक शाखा (1870) saltad@ucobank.co.in (ख) सम्पर्क व्यक्ति : श्री राहुल वर्मा, मोबाइल नं. 9795241483	**आईकेएफ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, निदेशक; -1. श्री सुनील कुमार गोयल 2. श्रीमती अनीता गुप्ता** कार्यालय - जे-1/12, इंडो जापान बिल्डिंग, सेक्टर V, ईपी-जीपी ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, बिधाननगर, पश्चिम बंगाल 700091 **गारंटर - मैसर्स जीएनजी कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड**, 1. ए-3/3ए ग्रीन अपार्टमेंट पश्चिम विहार नई दिल्ली 110063 2. **मैसर्स प्रीमियम लिंकर्स लिमिटेड** 102, पाल्को हाउस 2162/टी-10	(क) 22.06.2021 (ख) 18.05.2022 (ग) रु. 6.55 करोड़ = रु. 4.55 करोड़ फंड आधारित + रु. 2 करोड़ बीजी (इन्वोक्ड नहीं) (तथा अप्रयुक्त ब्याज, लागत एवं प्रभार)	औद्योगिक संपत्ति, एक रीको विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, भूतल निर्माण, संपत्ति का पता - प्लॉट नंबर एफ- 287, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, कलादवास, उदयपुर। क्षेत्रफल = 4000 वर्ग मीटर। **संपत्ति सांकेतिक कब्जे में है**	(क) रु. 1,93,00,000.00 (ख) रु. 19,30,000.00 (ग) रु. 50,000.00 (घ) 23.12.2022 को 01.00 बजे अप. से 05.00 बजे अप. तक (10 मिनट के असीमित विस्तार सहित)

नियम एवं शर्तें:

1. नीलामी बिक्री 'ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन' पोर्टल **https://www.mstcecommerce.com** पर होगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करते हुए पोर्टल (https:www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को नीलामी की तारीख और संबंधित संपत्ति की नीलामी के समय से पहले अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके पोर्टल में ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। नीलामी से पहले पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और वालेट में ईएमडी का हस्तांतरण अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए।
3. पूर्वोक्त जमा धरोहर जमा (ईएमडी) राशि, एनईएफटी के माध्यम से बोलीदाताओं के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में (https:www.mstcecommerce.com) से चालान जनरेट होने के बाद) ऑनलाइन भुगतान करना होगा। एनईएफटी अन्तरण किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है। चेक जैसे किसी अन्य तरीके से ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवश्यक ईएमडी ऑनलाइन जमा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
4. ई-नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https:www.mstcecommerce.com) ई-नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225-सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता- 700020 (संपर्क फोन और टोल फ्री नंबर 079-41072412/411/413 या 1800-103-5342) है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https:www.mstcecommerce.com पर भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेब पेज पोर्टल पर उपलब्ध/प्रकाशित है: (1) https://www.ibapi.in, (2) https://www.mstcecommerce.com/
6. ई-नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी ई-नीलामी से संबंधित ई-नीलामी से संबंधित बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम और शर्तों की प्रतियां, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर हेल्प मैनुअल ई-बिक्रे-आईबीएपीआई पोर्टल (https://www.ibapi.in) से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ।
7. बोलीदाता के ग्लोबल वॉलेट में बोली के समय पर्याप्त बैलेंस (ईएमडी राशि के बराबर या अधिक) होना चाहिए।
8. ई-नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को उद्धत अंतिम बोली के ऊपर और ऊपर परस्पर बोली लगाने में उच्च बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली के ऊपर उल्लेखित होनी चाहिए। बोली लगाने वालों को लगातार अधिक बोली लगाने के लिए दस (10) मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो ई-नीलामी बंद कर दी जाएगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर हेल्प मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका कठोरता से पालन करें। ई-नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता होने पर हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता के अधिकृत प्रतिनिधि (https:http://www.mstcecommerce.com/) से संपर्क कर सकते हैं। जिसका विवरण ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई-नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, केवल सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त संदर्भित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर / ईमेल पते पर / सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)।
11. प्रतिभूति संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
12. सफल बोलीदाता को जमा की गई ईएमडी राशि घटाकर बोली राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करना होगा और शेष राशि का भुगतान नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि उक्त राशि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जाती है, तो इसे सॉल्टलेक अंचल कार्यालय में देय 'यूको बैंक' के पक्ष में आहरित किया जाएगा। उपरोक्त राशि को निर्धारित समय के भीतर जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि को बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।
13. समस्त विक्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी नियमानुसार विक्रय प्रमाण पत्र जारी करेगा।
14. स्टाम्प शुल्क और बिक्री प्रमाण पत्र/वाहन के पंजीकरण से संबंधित सभी खर्च, यदि कोई हो, सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
15. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी बैंक को ज्ञात संपत्तियों (ई-नीलामी) के संबंध में सरकार या किसी अन्य के लिए किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करें।
16. किसी भी प्रशासनिक आकस्मिकताओं के कारण, ई-नीलामी बिक्री की तिथि और समय में परिवर्तन की आवश्यकता होने पर सेवा प्रदाता के माध्यम से पंजीकृत ईमेल पते पर या उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल पते /सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत पते पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
17. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/आस्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। यह ध्यान दें कि इस नोटिस में संपत्ति बेचने के लिए बैंक की ओर से कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व नहीं है या नहीं माना जाता है।
18. बोली प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति और विशिष्टताओं के बारे में निरीक्षण और स्वयं को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी। बोलीदाता प्रदान किए गए विवरण के अनुसार डीलिंग अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण कर सकता है।
19. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक-अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। बैंक इंटरनेट विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या ई-नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों/आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
20. संपत्ति/संपत्तियों के निरीक्षण के लिए, इच्छुक बोलीदाता 23.12.2022 से पहले कार्यालय समय के दौरान यूको बैंक की संबंधित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं। यह उक्त ऋण के कर्जदारों/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को उपरोक्त तिथि पर इस बिक्री को आयोजित करने के बारे में 30 दिनों का नोटिस भी है।
21. उपरोक्त संपत्तियों/परिसंपत्तियों की बिक्री ''जहाँ है जैसा है, जो है यही है आधार पर'' और ''आश्रय रहित'' आधार पर की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया आदि के बारे में स्वयं पूछताछ करनी चाहिए और बैंक नीलामी से पहले या बाद में किसी भी देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
22. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण प्राधिकृत अधिकारी/बैंक की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी और/या बैंक इस सार्वजनिक सूचना में किसी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

दिनांक : 18.11.2022 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : साल्ट लेक — यूको बैंक

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Divya Sharma JMIC Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

Kotak Mahindra Bank Ltd Vs Rishi Gupta

CNR NO: PBLD03-036214-2019
Date: 21-12-2022

Publication Issued To: Rishi Gupta Address- S/o Kamlesh R/o Hno 614 katarachand khan an o bareilly 243001

Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 21-12-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC Ludhiana

फार्म नं. 3
[विनियमन देखें- 15(1)(a)] / 16(3)]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2)
प्रथम तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर 17ए, चंडीगढ़
(तृतीय एवं चतुर्थ तल पर भी अतिरिक्त जगह आवंटित)

Case No.: OA/555/2022

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत समन।

Exh. No.: 11355

आईडीबीआई बैंक विरुद्ध **बलजीत सिंह**

To, (1) बलजीत सिंह पुत्री/पत्नी/पुत्र श्री अमर सिंह विर्क, बलजीत सिंह पुत्र श्री अमर सिंह विर्क, निवासी- चर्च के पास, गांव करीवाली, तहसील रनिया, जिला सिरसा, हरियाणा- 125075, सिरसा हरियाणा।

समन्स

जबकि, OA/555/2022 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष 05/07/2022 को सूचीबद्ध किया गया था।

जबकि यह माननीय अधिकरण ने आपके खिलाफ रुपये 2308570/- ऋण की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर समन/नोटिस जारी किया है (दस्तावेजों की प्रतियों के साथ आवेदन पत्र)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आप, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:-(1) समन की तामील के तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए कि प्रार्थना की गई राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए; (2) मूल आवेदन के क्रमांक नंबर 3ए के तहत आवेदक द्वारा निर्दिष्ट संपत्तियों और संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों या आस्तियों के विवरण का खुलासा करना; (3) आपको संपत्तियों की कुर्की के लिए आवेदन की सुनवाई और निपटान के लंबित रहने तक, मूल आवेदन के क्रमांक नंबर 3ए के तहत प्रकट की गई प्रतिभूत संपत्ति या ऐसी अन्य संपत्तियों और आस्तियों से निपटने या निपटाने से रोका गया है; (4) आप बिक्री, पट्टे या अन्य के माध्यम से, उसके व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, किसी भी संपत्ति को छोड़कर, जिस पर प्रतिभूति हित बनाया गया है और/या अन्य संपत्ति और आस्तियां जो अधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना मूल आवेदन क्रम संख्या 3 ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई हैं; (5) आप व्यापार के सामान्य क्रम में प्रतिभूत संपत्तियों या अन्य संपत्तियों और आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आय के लिए जिम्मेदार होंगे और इस तरह की बिक्री की आय बैंक या वित्तीय संस्थानों के पास रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

आपको, आवेदक को एक प्रति के साथ लिखित विवरण दाखिल करने और दिनांक 25/11/2022 को प्रातः 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का भी निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर आपकी अनुपस्थिति में आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मुहर द्वारा दिनांक 01.08.2022 को दिया गया।

(सील) ऋण वसूली अधिकरण-।। चंडीगढ़